न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारीः– कैलाश चन्द गुर्जर , उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

प्रकरण संख्या– 43 / 2021 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0रा0अ0

नन्दू बाई पत्नि शान्तिलाल जाति मेहर उम्र बालिग निवासी भैंसरोडगढ तह0 रावतभाटा।

...............प्रार्थीया

विरूद्ध

1. संतोष पुत्र नन्दलाल जाति राजपूत आयु बालिग निवासी रावतभाटा तह0रावतभाटा।
2. भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा।

...........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से :– श्री आजाद हुसैन।

दिनांकः– 21 / 03 / 2022

–:आदेशः–

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया हैं कि मौजा ग्राम धांगडमउखुर्द पटवार हल्का धांगडमउकला भू0अ0नि0 बोराव तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 129 आराजी न. 280, 585 रकबा 1.73 है0, 1.08 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.81 प्रार्थीया के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया कि आराजी संख्या 280 व 585 के पड़ौसी खातेदार मुझ अकेली महिला को देख कर डराते धमकाते रहते है, और चारो तरफ से मेरी जमीन पर आगे बढ़ कर कब्जा करने की कोशिश करते है और मेरी खातेदारी की जमीन में सीमाओं को लेकर हमेशा लडाई झगडा करते रहते है और मेरी जमीन मे अपनी जमीन होना बताते है। प्रार्थीया ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थीया की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थी की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीया को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थीया उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर दिनांक 28.02.2022 को अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

अतः तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं कि मौजा ग्राम धांगडमउखुर्द पटवार हल्का धांगडमउकला भू0अ0नि0 बोराव तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 129 आराजी न. 280, 585 रकबा 1.73 है0, 1.08 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.81 प्रार्थीया के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगड़ी की जावे। एवं पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/–रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थीया से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 21.03.2022 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ

Scanned with CamScanner